न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
62 / प्रा0पत्र / 2021	26.07.2021	28.10.2021

1. कन्या पुत्री नानू जाति भील निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
2. जगदीश आ0 नानू जाति भील निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
3. डाली पुत्री रामलाल जाति भील निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
4. नटी पुत्री नानू जाति भील निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
5. नन्दू बाई पुत्री रामलाल जाति भील निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
6. प्रमोद आ0 रामलाल जाति भील निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
7. पारी पुत्री नानू जाति भील निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
8. फौरू लाल आ0 रामलाल जाति भील निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
9. मदन आ0 नानू जाति भील निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
10. मीना बाई पुत्री रामलाल जाति भील निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
11. शोजी आ0 नानू जाति भील निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
12. सुगना पुत्री रामलाल जाति भील निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
13. हेमराज आ0 रामलाल जाति भील निवासी देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ताप्रार्थीः— श्री हिम्मत सिंह

अधिवक्ता अप्रार्थीः— पेरोकार सरकार

— : : निर्णय : : —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 136 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:—

1. यह कि प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं0 नया 193 पुराना 180 की ख0सं0 2074 / 1165 रकबा 2.4281 हेक्टेयर वाके ग्राम देवरिया तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0) में विस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण खातेदार के रूप में काबिज काश्त है एवं वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076 प्रस्तुत है।
2. यह कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है एवं पूर्व से ही पुश्तैनी रूप से कृषि कार्य करते चले आ रहे है एवं भूमि ग्राम देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में विस्थित है तथा ग्राम देवरिया की आधी से भी ज्यादा गैर खातेदारी में चली आ रही थी जिस पर पूर्व में काबिज काश्त के आधार पर भूमि की तरमीम की गई थी एवं नक्शा बनाया गया था।
3. यह कि प्रार्थीगण की भूमि जो चरण सं0 1 में वर्णित है का जब तहसील तालेडा में आनलाईन हुई तो उक्त भूमि का नक्शा बदल दिया गया जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ एवं

Scanned with CamScanner

आनन–फानन में प्रार्थीगण जहाँ काबिज है। वहाँ का नक्शा व प्रार्थीगण की भूमि ख0सं0 2074/1165 पर अंकित नही किया गया एवं दूसरी जगह का नक्शा प्रार्थीगण के खाते की भूमि ख0सं0 2074/1165 पर अंकित कर दिया जो कि गलत इन्द्राज हुआ।

4. यह कि एल.आर.एक्ट की धारा 136 मे यह प्रावधान किया गया है कि नक्शे एवं तरमीम से गलती हुई तो प्रार्थीगण के काबिज काश्त के आधार पर पुनः मौके पर जाकर रिपोर्ट मंगवाकर नक्शे एवं तरमीम की शुद्धि करवायी जा सकती है।

5. यह कि गलत नक्शे एवं तरमीम के चलते प्रार्थीगण को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है एवं मौके पर अन्य खातेदारान प्रार्थी को नाजायज परेशान करते है तथा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है एवं इस बाबत् जब प्रार्थी के द्वारा हल्का पटवारी देवरिया से दिनांक 21.06.2021 को निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा एवं तरमीम शुद्ध किया जावे तो पटवारी हल्का देवरिया के द्वारा प्रार्थीगण के साथ टालमटोल की गई। प्रार्थीगण की समस्या का कोई समाधान नही किया गया।

6. यह कि प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 21.06.2021 को तहसीलदार तालेड़ा से नक्शा एवं तरमीम शुद्धि के लिए निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा प्रार्थीगण की बात नही सुनी एवं प्रार्थीगण की भूमि के नक्शा एवं तरमीम शुद्ध के संबंध में कोई कार्यवाही नही की गई जो वाद कारण बना एवं वर्तमान में लगातार बना हुआ है।

7. यह कि प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखते है कि प्रार्थीगण की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित पर काबिज काश्त के आधार पर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित करवावें की पुनः प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि जो प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित है पर नक्शा एवं तरमीम का शुद्धिकरण दर्ज कर अंकित करें।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं0 नया 193 पुराना 180 की ख0सं0 2074/1165 रकबा 2.4281 हेक्टेयर वाके ग्राम देवरिया तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0) में विरिथत है, भूमि पर वर्तमान में प्रार्थीगण की काबिज स्थिति को देखते हुये नक्शा एवं तरमीम शुद्धिकरण के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आनलाईन नक्शे का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा सं0 1165 मे उक्त खसरे की तरमीम उत्तर–दक्षिण खडी तरमीम पाई गई, जबकि खातेदार का कब्जा ख0सं0 1165 की उत्तरी मेड के सहारे पूर्व–पश्चिम में काबिज है। खातेदारो का कब्जा शुरू से ही उत्तर–दक्षिण लम्बाई में नही होकर पूर्व–पश्चिम में ही रहा है, जिसका नजरी नक्शा जवाब के साथ संलग्न है एवं ऑनलाईन नक्शे में पूर्व में की गई तरमीम निरस्त कर उक्त खसरे की प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम शुद्धि किया जाना प्रस्तावित है तथा जिसमें प्रस्तावित शुद्धि अनुसार ऑनलाईन तरमीम को शुद्ध करने की अनुशंषा कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

साक्ष्य में प्रार्थी की और नकल जमाबन्दी खाता सं0 193 ग्राम देवरिया संवत् 2076, पटवारी मौका रिपोर्ट ग्राम देवरिया, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम देवरिया की प्रतियॉ पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा खातेदारी भूमियो का राजस्व रिकार्ड के पुनरीक्षण पृविष्टयों व कम्प्यूटरीकृत ऑनलाईन गलत इन्द्राज होना स्वीकार किया है। पत्रावली में प्रस्तुत पेरोकार सरकार जवाब एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि का ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम अंकित होना पाया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है

Scanned with CamScanner

कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम देवरिया तहसील तालेडा की ख0सं0 2074/1165 रकबा 2.4281 हे0 भूमि की तरमीम प्रस्तावित नक्शा ट्रेस एवं मौके पर जांच किया जाकर जांच अनुसार भूमि के रकबा की इन्द्राज दुरूस्त किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with CamScanner